राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.9(62)लेखा/क्रय–ब/इथिकेयर/2016–18/7606 दिनांक: 20-12-18

कार्यालय आदेश

M/S EthicareLabratories, Jammu ने निदेशालय द्वारा जारी बोली संख्या 8379 दिनांक 07–09–16 में भाग लिया था तथा बोली के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि फर्म किसी भी सरकारी/स्वायतशासी संस्था / अस्पताल /निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट घोषित नही है, जबकि **Tamilnadu Medical Services Corporation** द्वारा फर्म को तमिलनाडु में बोली की तारीख को ब्लैक लिस्ट घोषित किया जा चुका था ।

M/S EthicareLabratories, Jammu द्वारा टेन्डर डॉक्यूमेन्ट में वास्तविकता के विपरीत गलत शपथ पत्र देने के कारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया जाना स्थापित होने के कारण कार्यालय आदेश एफ.9(62)लेखा/क्रय–ब/इथिकेयर/2016–18/ 278 दिनांक 13–4–17 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत फर्म की जमा बोली प्रतिभूति राशि के रूप में जमा बैंक गारन्टी राशि रू 32,00,000/– एवं डीडी राशि रू 2,60,000/– कुल राशि रू 34,60,000/– समपहरित करने के आदेश जारी किये गये थे।

फर्म **M/S EthicareLabratories, Jammu** द्वारा बैंक गारन्टी राशि रू 32,00,000/– बैंक से दिनांक 20–02–17 को ही प्राप्त कर ली। जिसकी सूचना बैक से दिनांक 25–10–17 को कार्यालय को प्राप्त हुई। कार्यालय द्वारा उक्त समपहरित राशि जमा कराने हेतु फर्म को पत्र दिनांक 6018 दिनांक 14–8–18 द्वारा लिखा गया। फर्म द्वारा उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराया गया था कि उक्त राशि 15–10–18 तक जमा करा दी जायेगी । फर्म द्वारा राशि जमा नही कराने की स्थिति में कार्यालय पत्र क्रमांक 7101 दिनाक 27–11–18 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत समपहरित राशि रू 32,00,000/– 15 दिवस में जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। इस क्रम में फर्म ने अपने पत्र दिनांक 29–11–18 द्वारा अवगत कराया कि राज्य सरकार के पास उनकी अपील विचाराधीन है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेजी आधार उपलब्ध नही हैं। साथ ही फर्म द्वारा अदिनांक तक भी उक्त राशि जमा नही करायी गयी है।

फर्म **M/S EthicareLabratories, Jammu** द्वारा गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन करने एवं उक्त समपहरित राशि रू 32,00,000/– जमा नही कराने के कारण राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46(3)व (4) के अन्तर्गत फर्म को आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिये विभागीय उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से विवर्जित **(Debarred)** किया जाता है एवं विभाग में फर्म की अन्य किसी भी रूप में जमा रखी गयी बोली प्रतिभूति राशि/ कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि या फर्म को देय अन्य किसी राशि को रू 32,00,000/– की सीमा तक समपहरित किये जाने का निर्णय किया जाता है।

(डॉ शैलेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ.9( )लेखा/क्रय–ब /2017–18/7607-08 दिनांक:– 20-12-18
प्रतिलिपि:

(1) **आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय पशुपालन विभाग जयपुर** को भेज कर निर्देश है कि फर्म की विभाग में उपलब्ध बोली प्रतिभूति राशि/ कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि या फर्म को देय अन्य किसी राशि, बैंक गारन्टी/प्रतिभूति राशि रू को भुनाते हुये राजकोष में जमा करवाये जाने की कार्यवाही करावे एवं शेष राशि वसूली सम्बन्धी आगामी यथेष्ठ कार्यवाही कर क्रय अनुभाग को अवगत करावे।

(3) **M/S EthicareLabratories, 15 Industrial Estate Digiana Jammu** को सूचनार्थ

(4) रक्षित पत्रावली

निदेशक